FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

कौर सिंह बनाम बलविन्द्र कौर आदि

किस्म मुकदमा 148 ए सी.पी.सी प्रकरण संख्या 14 सन् 2025

जी.सी.एम.एस नम्बर 2025 / ३५२

मेल कम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.07.2025	प्रार्थी कौर सिंह पुत्र कर्म सिंह जाति जटसिख निवासी 24 ओ भुट्टीवाला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्री गंगानगर की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह के द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 132 / 133 के मुरब्बा नम्बर 11, 133 / 1 की कुल 5.060 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद या स्थगन प्रार्थना पत्र अप्रार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यायालय में पेश किया जाता है तो सुनवाई से पूर्व प्रार्थी को सूचित किया जाकर, सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात ही कोई निर्णय पारित किया जावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी को जरिए पंजीकृत डाक से तलब किया जावे। इस सम्बन्ध मे कोई दावा या स्थगन प्रार्थना पत्र पेश होने पर पत्रावली पेश हो तब तक पत्रावली नियमानुसार सुरक्षित रखी जावे। सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	
२८/१०/२५	आज यह पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १४८(क) CPC प्रस्तुत किए ९० दिवस से अधिक का समय हो चुका है, अब इस पत्रावली मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १४८(क) CPC खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)